न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम नं. – 2025/154
मुकदमा नम्बर 36/2025 दर्ज दिनांक–28.03.2025

सवाई सिंह पुत्र श्री किशोर सिंह जाति चारण निवासी चारण की ढाणी, तहसील नवलगढ ,जिला झुझुंनू

बनाम

भूमिधारक राज्य सरकार जरिए (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार नवलगढ जिला झुझुंनू

वकील आवेदक : – श्री किशोर कुमार जांगिड
अनावेदक :– पैरो. राज.

<u>प्रार्थना–पत्र(पत्थरगढ़ी) अन्तर्गत धारा 111,128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 02.05.2025

प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र प्रस्तुत किया कि, प्रार्थीगण का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चारण की ढाणी पटवार हल्का पुजारी की ढाणी के खसरा नं. 371 रकबा 0.18 है0 की सीमाओं पर स्थाई सीमा चिन्ह कायम करने का आदेश फरमावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर तलबी अनावेदकगण की जारी की गई। अनावेदक की और से पैरो. राज. उपस्थित हो कोई उजर/एतराज पेश नही किया गया।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आवेदक ने प्रा. पत्र के साथ दिनांक 13.11.2024 को फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट पेश की है। पत्रावली पर प्रस्तुत सीमाज्ञान रिपोर्ट राजस्व अधिकारियें द्वारा तैयार की गई है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड खातेदार को अपनी कृषि जोत पर सीमाज्ञान व स्थायी सीमा चिन्ह कायम किये जाने का पूर्ण अधिकारी है। यधपी दिनांक 13.11.2024 को किया गया सीमाज्ञान राजस्व अधिकारियें द्वारा तैयार किया गया है जिस पर किसी प्रकार का संदेह नही किया जा सकता है परन्तु यह भी स्पष्ट है कि उक्त सीमाज्ञान सीमावर्ती खातेदारों को बिना सुचित किये, बिना उनकी उपस्थिति के किया गया है। इसलिये तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि, राजस्व ग्राम चारण की ढाणी पटवार हल्का पुजारी की ढाणी के खसरा नं. 371 रकबा 0.18 है0 की सीमाओं पर सीमाज्ञान, सीमावर्ती काश्तकारों को नोटिस दिये जाकर, उनकी उपस्थिति में पुनः किया जाकर, सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी निर्धारित शुल्क राजकोष मे जमा कर, की जावे। तद्नुसार पत्थरगड्डी कायम करवाये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि, नियमानुसार शुल्क राजकोष मे जमा कर उक्त सम्बन्ध मे जो भी हितबद्व आवश्यक पक्षकार व खातेदार हो उनकी मौजूदगी मे सीमाज्ञान करते हुये ,पत्थरगड्डी करे। यदि आदेश की पालना हेतु आवश्यक हो तो पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त करली जावे, जिसका आवश्यक होने पर समस्त खर्चा आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02/05/2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू